

FORM NO. III

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी

(विद्यम 26)

2023-79

अज अदालत

बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

मुकदमा

श्री मति गौविशुद्धे वनाम

विरा

किस्म मुकदमा

51-45/128

सन्

51/23

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही का शिर्षक जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/5/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>पालारकेड़ी</u>..... की ग्राम.....<u>546 रुबा 1.08 आ.न. 549</u> की आ.न.....<u>रुबा 0.24 है = 1.32 है</u>..... की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे।</p> <p>प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये <u>1500/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।</p> <p>पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	
	<p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p>	